भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 635

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली की समीक्षा

635. श्री परवेज़ हाशमी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 2012 में बलात्कार मामले के पश्चात् बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी के मुद्देनज़र हाल ही में दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) विभाग-वार किन-किन खामियों का पता चला है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-से उपचारी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ख) : दिनांक 01 जनवरी, 2013 को गठित विशेष कार्यबल (एस टी एफ) दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच करती है, निर्देश जारी करती है और साथ ही साथ इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निरंतर समीक्षा करती रहती है। कार्यबल की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं और एस टी एफ की आखिरी बैठक 20 फरवरी, 2015 को हुई थी। बैठकों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को महिला सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सुग्राही बनाते हुए आवश्यक अनुदेश/निदेश जारी किये गए हैं और एजेंसियों द्वारा इस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की गई है। इसमें हुए कुछेक महत्वपूर्ण विकास ये हैं कि हैल्पलाइन संख्या 100 की लाईनों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है, महिला हैल्पलाईन की संख्या 1091 की लाईनों की संख्या 04 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है, संकट में फंसी महिलाओं की कॉल्स के लिए कार्रवाई समय को 12.17 मिनट से कम करके 10 मिनट किया गया है और प्राथमिकता कॉल्स के लिए जिसे और कम करके 5-7 मिनट कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा रखे जा रहे पीसीआर बेड़े का आकार 1000 है, संकट में फंसी कॉलर्स की मौका स्थिति का पता लगाने के लिए एंड्रायड और एप्पल फोनों के लिए 'हिम्मत' मोबाईल एप शुरू किया गया है, बस क्यू शेल्टरों में रोशनी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 24 घंटे में इनकी मरम्मत करने की प्रणाली कायम की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 'रिपीट अफेंस पॉलिसी' अधिसूचित की है और दिल्ली पुलिस द्वारा अधिसूचित रिपीट अफेंस का निपटान इस नीति के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र वाहनों में जी पी एस का लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार द्वारा पी एस बी चालक दलों के लिए पुलिस सत्यापन के बाद फोटो पहचान पत्र जारी किये जाते हैं, पहले चरण में 200 डी टी सी बसों में सी सी टी वी कैमरे लगाए गए हैं, सभी सिविक एजेंसियों ने अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में सी सी टी वी कैमरे लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले स्कूलों के संबंधित स्कूल बस स्टाफ का सत्यापन करने और परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में पुष्टि प्राप्त कर ली है, दिल्ली पुलिस द्वारा पहचान किये गए 255 संवेदनशील मार्गों को गश्त करके उन्हें सुरक्षित किया गया, सभी सिविक एजेंसिंया स्ट्रीट लाइटों की नियमित रूप से निगरानी करती हैं और कार्य न कर रही लाइटों को न्यूनतम संभावित समय के भीतर बदलती हैं।

(ग) से (घ) : ऊपर बताई गई नियमित समीक्षा का निष्कर्ष, प्रणाली में पहचान किये गए अंतराल और इन अंतरालों को भरने और साथ ही प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए स्टेक होल्डरों द्वारा की गई कार्रवाई का परिणाम है। की गई ऐसी सुधार-व्यवस्था के कुछेक उदाहरण निम्नलिखित हैं:

i. पुलिस कंट्रोल रूम में कंसोल्सर की संख्याण बढ़ाकर कार्रवाई समय को कम करना, हेल्पलाइन संख्यां 100 का 162 पुलिस स्टेशनों में विस्ताईर, महिला हेल्प5लाइन एजेंटों को 4 से बढ़ाकर 10 करना, केन्द्रीय पुलिस कंट्रोल रूप (सी पी सी आर) में स्थामनीय पुलिस और स्टाकफ को सुग्राही बनाना तथा महिला हेल्प्लाइन कॉल्स से संबंधित फील्ड फॉरमेशन।

ii. परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीत सरकार ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसमें डी टी सी के चैंकिंग और पर्यवेक्षक स्टाफ को ई-मेल के माध्य म से बस क्यून शेल्टंरों में खराब अथवा धीमी रोशनी के बारे में सूचना भेजने के लिए कहा गया है और यह सूचना तत्काल संबंधित एजेंसी को आवश्यरक सुधार कार्य हेतु ऑनलाइन भेज दी जाती है।

iii. मॉल्स, पब्सो इत्यादि के निकट 255 संवेदनशील मार्गों ,पजिनमें रात्रि के दौरान महिलाएं अक्सर आती जाती रहती हैं, की पहचान की गई है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें त्व रित कार्रवाई दल आपात कार्यवाही वाहनों , मोटर साइकिल द्वारा गश्त, बीट गश्त, स्पे,शल टीम और चैंकिग पिकैट्स इत्या,दि के माध्य्म से कवर किया गया है।

iv. पुलिस सत्यापन के पश्चारत पी एस बी चालक दलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा फोटो पहचान पत्र जारी करना।

v. लड़कियों में आत्मनविश्वास पैदा करने की दृष्टि से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विशेष पुलिस ईकाई (एसपीयूडब्यू एसी) और जिला पुलिस लड़कियों के लिए आत्मचरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन करती है।

*****